तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18.6.18	प्रकरण राज्य ... आयोजित लोक अदालत/कैम्प ... है। अतः पत्रावली लोक अदालत में ... पर दिनांक 21.6.18 ... उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
21.6.18	पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी उपस्थित। बहस [illegible] सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस वकील का मनन किया गया। प्रकरण [illegible] मौके व सुविधा की [illegible] एवं [illegible] प्रार्थी के पक्ष में [illegible] प्रतीत होता है। अतः [illegible] प्रार्थी स्वीकार किया जाता है [illegible] आदेशित किया जाता है कि [illegible] खसरा नं. 567 [illegible] रास्ता का कोई [illegible] नहीं [illegible] विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो सुनाया। SDO

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/80ए/14

बउनवान

1. किशनलाल पुत्र मंगलराम जाति मीना निवासी तिगरिया

तहसील कठूमर जिला अलवर

—— सायल

बनाम

1. परताप पुत्र सुखराम जाति मीना

2. मोहनसिंह पि0मु0 हरबाई जाति मीना

निवासीयान ग्राम तिगहिरया तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

श्री गिरधारीलाल शर्मा :– अधिवक्ता सायलान

आदेश

दिनांक 21.6.18

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बरान 567, 594 वाके ग्राम तिगरिया तहसील कठूमर में स्थित है। खसरा नत्बर 594 सायल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायल शांति पूर्वक काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। जिस 594 खसरा नम्बर का रास्ता एंव निकास खसरा नम्बर 567 गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम तिगरिया में होकर सायल अपने खेतों को हल बैल मबेशी आदि व ट्रेक्टर ट्रॉली आदि निकालता है तथा फसल को अपने घर से लाता है और सायल खसरा नम्बर 567 में होकर अव तक शांति पूर्वक निकलता करता रहा है और अव भी निकल रहा है। गैरसायलान जबर्दस्त व्यक्ति है। सायल एंव गैरसायलान के मध्य खसरा नम्बर 594 व दीगर खसरा नम्बरान संयुक्त शामलाती खातेदारी की आराजी है जिन सभी आराजीयात का

उण्ड अधिकारी
ठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

सायल एंव गैरसायलान एंव अन्य सहकाश्तकारान ने अपनी सहूलियत के अनुसार घरू तकासमा कर रखा है तथा खसरा नम्बर 594 सालिम सायल को दे रखी है तथा खसरा नम्बर 596 गैरसायलान के पास है तथा दीगर आराजी अन्य सहकाश्तकारान के पास है जिस घरू वंटवारे की वावत किसी भी सहखातेदारान को कोई आपत्ति नहीं है और न कोई विवाद है। किन्तू गैरसायलान ने रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर धूडा पत्थर फांसे दिये व नींव खोद कर निर्माण कार्य चालू करना शुरू कर दिया तथा सायल के खेत को आने जाने का रास्ता बन्द करने की कोशिश में है जिसका कि गैरसायलान का कोई अधिकार नहीं है। रास्ता की भूमि पर कब्जा करना अतिक्रमण करना गैरकानूनी है। इस वावत सायल ने तहसीलदार साहव कठूमर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रार्थना पत्र जांच के लिये पटवारी हल्का को भिजवाया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यदि गैरसायलान नेरास्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया तो सायल को अपार हानि होगी। खेतों का रास्ता वन्द हो जावेगा। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हंक वो अधिकार नहीं है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयावं हो गये तो सायल का अपार हानि क्षति व असुविधा होगी। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक विवादित आराजी रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 567 गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम तिगरिया तहसील कठूमर में कोई कच्चा पक्का निर्माण ना करने धूडा लकडी न डालने व रास्ता को अवरूद्व न करने के लिये गैरसायलान को पाबन्द करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव पेश कर कथन किया कि सायन कि खेत खसरा नम्बर 594 वाके ग्राम तिगरिया में आने जाने के लिये कभी खसरा नम्बर 567 में होकर रास्ता नहीं रहा। बल्कि खसरा नम्बर 594 के तर्फ उत्तर को आराजी खसरा नम्बर 593 है तथा उसके वाद आराजी खसरा नम्बर 567 है। खसरा नम्बर 567 में से खसरा नम्बर 594 के लिये कोई रास्ता नहीं है। ना ही खसरा नम्बर 594 के लिये ना तो सायल ने कभी हल वैल ट्रेक्टर आदि लेकर गया और ना मौके पर ही कोई रास्ता है। खसरा नम्बर 594 व अन्य दीगर खसरा नम्बरान का व गैरसायलान तथा अन्य सहखातेदारान की शामलात खाती की आराजी है। जिसका सहुलियत के अनुसार वंटवारा कर रखा है। खसरा नत्बर 594

ण्ड अधिकारी
ठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

सायल के हिस्से में व खसरा नम्बर 596 गैरसायलान के हक हिस्सा में आया था। सही तथ्य इस प्रकार से ही गैरसायलान अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 596 पर निर्माण किया है तथा शेष जमीन को जब से गांव बसाहै तब से गैरसायलान के बुजुर्गान व अब गैरसायलान धूडा आदि डालकर गैतबाडा के रूप में काम में लेते चले आ रहे है। खसरा नम्बर 596 हम गैरसायलान की खातेदारी की आराजी है। जिसमें होकर सायल को रास्ता मांगने का अधिकार नहीं है। सायल को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। तमाम तथ्य गलत है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 नक्शा ट्रेस, व नजरी नकशा की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि गैरसायलान गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 567 में धूडा लकडी आदि डालकर व निर्माण कर सायल के खेत खसरा नम्बर 594 का रास्ता अवरूद्व करना चाहते है गैरसायलान को गै0मु0 रास्ता को अवरूद्व करने का अधिकार नहीं है। अतः गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया किया किया कि गैरसायलान ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 596 में निर्माण किया है जिसमें होकर सायल का कभी रास्ता नहीं रहा। ,ससरा नम्बर 596 तन्हा गैरसायलान के हक हिस्सा व घरू बंटवारे में आया है। रास्ता की भूमि में गैरसायलान का कोई अतिक्रमण नहीं है। सायल ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपने कथनों के समर्थन में नकल दावा संख्या 34/12 बउनवान विशनलाल बनाम प्रताप वगैरा नकल प्रार्थनापत्र संख्या 46/12/14 उक्त अनुवानी, नकल आर्डरसीट मौका नक्शा नकल नक्शा ट्रेस की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस पर मनन किया। सायल को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 में खसरा नम्बर 567 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। जिस रास्ता पर गैरसायलान को कब्जा करने धूडा लकडी डालने या निर्माण करने का अधिकार नहीं है। जो रास्ता सार्वजनिक रास्ता है। यदि गैरसायलान ने रास्ता पर कब्जा कर लिया तो सायल को नुकशान होने का अनुमान किया जाता है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में प्रवल है। रास्ता की भूमि पर किसी भी पक्षकार को कब्जा करने या रोकने का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 567 गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम तिगरिया तहसील कठूमर में कोई धूडा लकडी डालकर या कच्चा पक्का निर्माण कर रास्ता अवरूद्व ना करे। उक्त गै0मु0 रास्ता में अतिक्रमण कर किसी तरह से अवरूद्व ना करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 21.06.18 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कनिष्क सैनी)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner